भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1303
सोमवार, 28 जुलाई, 2025 / 6 श्रावण, 1947 (शक)

गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1303. श्रीमती माला राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गिग कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति-प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी बजट घोषणा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के कल्याण के लिए कई प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जिसमें ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण, पहचान पत्र जारी करना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करना शामिल है।

******